रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241385 CG-DL-E-24122022-241385

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5796] No. 5796] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/ PAUSA 2, 1944

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6039(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83,

हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे।

> [सं. एस-38013 / 15 / 2022-एसएस-I] आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

8617 GI/2022 (1)

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

**S.O. 6039(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1st day of January, 2023,** as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;

- (i) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (ii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Chamba, Kullu, Hamirpur, Kinnaur and Lahaul & Spiti districts in the State of Himachal Pradesh.

[No. S-38013/15/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser